# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 83/2021 बउनवानी रामकिशोर सैनी बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0
पुत्र स्व0 श्री बिरधीचन्द सैनी निवासी प्लाट नं. ए–1 रजनीश नगर हरनाथपुरा झोटवाडा जयपुर

**GCMS No-2021/263**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **27.10.2021** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 29.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– |

**:–दिनांक 14.5.2021 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को एक पत्र लिखा गया था जिनका सदर्भ " सरपंच, ग्राम पंचायत शिवाड, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम,2005 कानून के अन्तर्गत भेजी गयी प्रथम अपील को लेने से इन्कार करने के संबंध में एवं विषय सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड जिला सवाईमाधोपुर मे पदस्थापित कर्मचारी जिसने डाक लेंने से इन्कार किया है के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए कानूनी कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना दिलाने बाबत।**

1. यह है कि प्रार्थी द्वारा लिखे गये उक्त पत्र की प्रति एवं संलग्न किये गये दस्तावेज।
2. उक्त पत्र को डाक आवक जावक रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर इन्द्राज किया गया है उक्त पृष्ठ की प्रति।
3. उक्त लिखे गये पत्र पर चलाई गयी समस्त नोट शीटे।
4. संबंधित समस्त पत्रावलीयों के आगे व पीछे के फाईल कवर।
5. उक्त लिखे गये पत्र पर की गयी समस्त कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेज।
6. उक्त पत्र के संबंध में आपके विभाग द्वारा किया गया समस्त प्रकार का आपसी पत्राचार।
7. उक्त पत्र के संबंध में संघारित समस्त पत्रावली।
8. उक्त पत्र पर विभाग में कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/लोकसेवक का नाम पिता का नाम,दूरभाष नम्बर निवास स्थान का पता एवं वर्तमान पदस्थापन से संबंधित सूचना उपलब्ध करावे।
9. उक्त पत्र पर विभाग द्वारा आज दिवस तक कार्यवाही जिस नियम के तहत नही की गयी है उस नियम की प्रति उपलब्ध करावे।
10. उक्त पत्र पर विभाग मे कार्यवाही नही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी/लोकसेवक का नाम, पिता का नाम, दूरभाष नम्बर,निवास स्थान का पता [illegible] से संबंधित सूचना उपलब्ध करावे।
11. उक्त पत्र पर विभाग मे कार्य[illegible] करने वाले अधिकारी/कर्मचारी/लोक सेवक के खिला[illegible] [illegible] [illegible] कार्यवाही बनती है/कार्यवाही की जाती है उससे [illegible] [illegible]जों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:एफ.1(165)/सूकाअ/2021/1723 दिनांक 6.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.6.2021 के बिन्दु संख्या 1,2,5 की सूचना के लिए कुल 10/–रू जमा करवाने जरिये पत्रांक 1271 दिनांक 22.7.2021 से लिखा गया जिसके क्रम में अपीलान्ट द्वारा 10/–रू जमा करवाये जाने पर प्रतिलिपि अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्रांक 904 दिनांक 3.9.2021 से चाही गयी सूचना भिजवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 3,4,6 लगायत 11 की सूचना के संबंध में उक्त पत्र दिनांक 22.7.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि कार्यालय से संबंधित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओं के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.6.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,5 मे चाही गयी सूचना प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक 904 दिनांक 3.9.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओं की सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1271 दिनांक 22.7.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:16 IST
Reason: SelfAttested